5. सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन/समयमान वेतनमान संबंधी शासनादेश

विषय सूची			
क्र0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम0ए0सी0पी0एस0 की देयता अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण	92062/XXVII(7)/E–39427/2022 दिनांक 18 जनवरी, 2023	131–132
2	राज्य के कोषागार संवर्ग के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2008 तक प्रभावी समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण	165/XXVII(7)/50(31)/2016, दिनांक 30 नवम्बर, 2022	133–136
3	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में	77088/XXVII(7)/E–39427/2022, दिनांक 17 नवम्बर, 2022	137–138
4	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में	05/XXVII(7)/50(09)/2018, दिनांक 06 जनवरी, 2022	139–140
5	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 व स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था के संबंध में	87/XXVII(7)/30(14)/2017, दिनांक 06 अगस्त, 2021	141–142
6	राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए ए.सी.पी. व स्टाफिंग पैर्टन की व्यवस्था के संबंध में	316/XXVII(7)/20–30(14)/2017, दिनांक 19 नवम्बर, 2020	143–144
7	समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।	65/XXVII(7)/18–50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2018	145–148

1/92062/2023
/92062/2023

Scanned with OKEN Scar

संख्या– 9208 /XXVII(7)/E-39427/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 18 जनवरी, 2023

विषयः– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम.ए.सी.पी.एस. की देयता अवधि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) लागू किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–11/XXVII (7)/30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 सपठित शासनादेश संख्या–77088/XXVII(7)/E-39427/2022 दिनांक 17 नवम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निम्नवत् व्यवस्था उपबन्धित की गयी हैः–

"एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु वित्तीय स्तरोन्नयन की देय तिथि से पीछे की 05 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां देखी जायेगी। यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टि 'उत्तम' से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में एम.ए.सी.पी. की देयता की तिथि से अगले वित्तीय वर्ष/वर्षों में 'उत्तम' वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण होने पर ही वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा।"

2. शासन के संज्ञान में आया है कि सेवारत कार्मिकों के बाह्य सेवा अवधि, बाध्य प्रतीक्षा अवधि अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार स्वीकृत विभिन्न प्रकार के अवकाश (असाधारण/अवैतनिक अवकाशों को छोड़कर) पर रहने की स्थिति में अवकाश अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की अनुपलब्धता की स्थिति में एम.ए.सी.पी. की देयता हेतु विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के लिए निर्धारित न्यूनतम मानक 'उत्तम' के पूर्ण न होने से ऐसी अवधि का संज्ञान न लिये जाने के कारण सेवारत कार्मिकों को एम.ए.सी.पी. की अनुमन्यता से वंचित होना पड़ रहा है। साथ ही यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि किसी वर्ष के अन्तर्गत 03 माह से कम की अवधि हेतु वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि न दिये जाने की व्यवस्था/स्थिति में उस अवधि को भी एम.ए.सी.पी. की अनुमन्यता हेतु गणना में नहीं लिया जा रहा है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेशों में उपबन्धित व्यवस्था के आलोक में कार्मिकों के वित्तीय स्तरोन्नयन के प्रकरणों पर विचार करते समय निम्नवत् कार्यवाही की जायः–

(i) नियमित सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति / बाह्य सेवा पर बिताई गई अवधि में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्राप्त होती है। अतः कार्मिक को बाह्य सेवा योजक से प्राप्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर वर्ष की गणना की जायेगी।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लम्बी अवधि के लिए नियमानुसार स्वीकृत अवकाश (असाधारण / अवैतनिक अवकाशों को छोड़कर), बाध्य प्रतीक्षा अथवा प्रतियेदक अधिकारी के द्वारा किसी वर्ष के दौरान 03 माह से कम अवधि के कार्यकाल के कारण किसी वर्ष / अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि न लिखी गयी हों तो एम.ए.सी.पी. की देय तिथि से पूर्व के 05 वर्षो की वार्षिक प्रविष्टियों की गणना में निर्धारित 05 वर्ष के ठीक पूर्व की समान अवधि में प्राप्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का संज्ञान लिया जायेगा। यदि उस अवधि में भी 'उत्तम' वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण नहीं हो रहा हो तो एम.ए.सी.पी की देयता की तिथि को आगे विस्तारित किया जायेगा।

4. शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 18-01-2023 13:30:52

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 92062/XXVII(7)/E-39427/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– / XXVII(7)/50(31)/2016

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः ३० नवम्बर, 2022**

विषयः– राज्य के कोषागार संवर्ग के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त, 2008 तक प्रभावी समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–250/XXVII(7)50(31)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोषागार संवर्ग के ऐसे कार्मिकों को जिन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत रू0 6500–10500 उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4800/–) 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में अनुमन्य किया गया है, को द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्यन के रूप में देय वेतनमान/ग्रेड वेतन रू0 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/– की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी के द्वारा मार्ग–दर्शन मांगे जाने पर यह स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है कि कोषागार संवर्ग में 80 : 20 के सिद्वान्त पर संवर्गीय पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पदों की प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण विषयगत प्रकरण पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–368/XXVII(3)से.वे./2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 के प्रस्तर–2(1) एवं 2(2) में तथा वित्तीय स्तरोन्नयन की वर्तमान व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या–872/XXVII(7) न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर 3(4) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–368/XXVII(3)स.वे./2005 दिनांक 23 अगस्त, 2005 के प्रस्तर–2(1) एवं 2(2) में निम्नलिखित व्यवस्था उपबन्धित हैः–

"(1) संवर्गीय पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलियन/उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान भी तद्नुसार ही अनुमन्य होगा।

(2) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन/संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। तद्नुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्प्ररीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार निर्धारित किया

जायेगा। वेतनमान में उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधित व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 12 मार्च, 2001 के संलग्नक के प्रस्तर–2(1) की व्यवस्थानुसार होगा।"

3. शासनादेश संख्या–872 दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–2(4) में निम्नलिखित व्यवस्था उपबन्धित है:–

"2(4) ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप मे अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।"

4. उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23 अगस्त, 2005 एवं शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के उक्त वर्णित प्रस्तरों की व्यवस्था के आलोक में कोषागार के लेखाकारों के सम्बन्ध में लागू 80 : 20 की व्यवस्था में यह मानते हुए कि सहायक लेखाकार एवं लेखाकारों के कुल पदों के 80 प्रतिशत पद लेखाकार के रूप में उच्चीकृत हो गये हैं तथा 20 प्रतिशत पद सहायक लेखाकार के रूप में रह गये हैं अर्थात कोषागारों में सहायक लेखाकार के पदों को लेखाकार के पद में उच्चीकृत मानते हुए (ग्रेड वेतन रू0 4200/–) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में रू0 4800/–, रू0 5400/– एवं रू0 6600/– स्वीकृत किये गये हैं।

5. अवगत कराना है कि निदेशक, विभागीय लेखा द्वारा अपने पत्रांक संख्या–371/नि0वि0ले0/सहा0ले0/एसीपी/2017 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के द्वारा सहायक लेखाकार व लेखाकार संवर्ग में द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में शासन से दिशा–निर्देश मांगे गये हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विभिन्न विभागों में इस निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यरत सहायक लेखाधिकारियों को ए0सी0पी0 अनुमन्य कराये जाने हेतु प्राप्त प्रकरणों पर निदेशालय के अधीन गठित समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी है:–

"समिति द्वारा शासन के पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित व्यवस्था के सम्बन्ध में 80 : 20 के सिद्धान्त पर सहायक लेखाकार व लेखाकार के पदों के विभाजन से सम्बन्धित शासनादेशों का अवलोकन किया गया। लेखा संवर्ग के सम्बन्ध में समता समिति (1989) की संस्तुतियों पर जारी शासकीय संकल्प संख्या–वे0आ0–1–1739/दस–89–41 (एम)/89 दिनांक 19 मई, 1989 के अधीन स्वीकृत वेतनमानों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में लेखा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये कि:–"सहायक लेखाकार वेतनमान रू0 1200–2040 तथा लेखाकार वेतनमान रू0 1400–2600 की सम्मिलित संख्या के 20 प्रतिशत पद सहायक लेखाकार पदनाम से रू0 1200–2040 के वेतनमान में और 80 प्रतिशत पद लेखाकार पदनाम से रू0 1400–2600 के वेतनमान में रखे जाय।" स्पष्ट है कि उक्त व्यवस्था में सहायक लेखाकार व लेखाकार के कुल पदों का विभाजन किया गया है, न संवर्ग में किसी पद का वेतनमान

उच्चीकरण हुआ है और न ही किन्हीं दो पदों का संविलियन हुआ है। लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार में सीधी भर्ती पर नियुक्ति के उपरान्त पदोन्नति का पद लेखाकार का है तथा दोनों पदों के वेतनमान भी भिन्न–भिन्न हैं। शासनादेश दिनांक 26 मई, 2000 के अनुसार 80 : 20 के अनुपात के आधार पर व्यवस्थित करने पर सम्बन्धित कर्मी स्वंयमेव नये पद के धारक नहीं हो जायेंगे अपितु संगत सेवा नियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुसार उक्त पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति भी आवश्यक होगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के उपरान्त 80 : 20 व्यवस्था के अन्तर्गत पदों के प्रभाजन के फलस्वरूप 80 प्रतिशत सहायक लेखाकारों को लेखाकार का वेतनमान व पदनाम अनुमन्य हुआ है। अतः लेखाकार के वेतनमान का उच्चीकरण व संविलियन न होने के कारण शासनादेश संख्या–368 दिनांक 23 अगस्त, 2005 शासनादेश संख्या–872 दिनांक 08 मार्च, 2011 सपठित शासनादेश संख्या–589 दिनांक 01 जुलाई, 2013 एवं शासन के पत्र संख्या–10 दिनांक 17 मई, 2017 व इसके साथ संलग्न पत्र संख्या–250 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 में विरोधाभाष की स्थिति बन रही है। समिति का मत है कि इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए शासन से स्थिति स्पष्ट कर निर्देश प्राप्त किया जाना उचित होगा।"

6. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड के उक्त वर्णित पत्र के क्रम में सहायक लेखाकार व लेखाकार संवर्ग में द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) अनुमन्य कराये जाने के प्रकरण का शासन स्तर पर पुनः परीक्षण किया गया। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–S-3-1256/X-2000 दिनांक 25 मई, 2000 एवं शासनादेश संख्या–एस–3–1228/दस–2000 दिनांक 26 मई, 2000 से यह विदित होता है कि 80 : 20 के अनुपात के आधार पर व्यवस्थित करने पर सम्बन्धित कर्मी स्वयमेव नये पद के धारक नहीं होंगे अपितु संगत सेवानियमावली में निर्धारित प्रकिया के अनुसार उक्त पद पर उनकी मौलिक नियुक्ति भी आवश्यक होगी। 80 : 20 अनुपात का लाभ 01–01–1986 से 31–03–1989 के मध्य तथा 31–03–1989 के बाद नियुक्त सहायक लेखाकार को भी मिलेगा जिस तिथि को उसकी तीन वर्ष की सेवा सहायक लेखाकार के पद पर पूरी होगी।

7. उक्त वर्णित वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 25 मई, 2000 एवं शासनादेश दिनांक 26 मई, 2000 में उपबन्धित व्यवस्था से स्पष्ट है कि लेखा संवर्ग में 80 : 20 की व्यवस्था लागू किये जाने के पश्चात् भी सहायक लेखाकार के रूप में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिए लेखाकार का पद प्रथम पदोन्नति का पद है। अतः 80 : 20 का लाभ प्राप्त सहायक लेखाकारों को ए0सी0पी0 की विद्यमान व्यवस्था के आलोक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में क्रमशः ग्रेड वेतन रू0 4200/–, रू0 4800/– एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– की ही अनुमन्यता है।

8. उपरोक्त प्रस्तरों पर उल्लिखित वस्तुस्थिति/तथ्यों के आलोक में शासनादेश दिनांक 25 मई, 2000 एवं शासनादेश दिनांक 26 मई, 2000 में उपबन्धित व्यवस्था तथा निदेशक, विभागीय लेखा के पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 2017 में 80 : 20 की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्ट की गयी वस्तुस्थिति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–250/XXVII(7)50(31)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को शासनादेश निर्गत की तिथि से ही निरस्त किया जाता है। साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि 80 : 20 की व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागार संवर्ग में सहायक लेखाकार से लेखाकार के पद पर निर्धारित प्रकिया के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त हुए किसी सहायक लेखाकार को उत्तराखण्ड राज्य में शासनादेश संख्या–250 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 की व्याख्या के आधार पर यदि उक्त प्रस्तर–7 में वर्णित व्यवस्था से इतर वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य किया गया है तो सम्बन्धित कार्मिक के वेतन/पेंशन का पुर्ननिर्धारण राज्य में वित्तीय

स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में लागू शासनादेशों/प्रचलित व्यवस्था के अनुसार करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की नियमानुसार वसूली/समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 165 (1)/XXVII(7)/50(37)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

'7088/2022
'7088/2022

संख्या– 77088 /XXVII(7)/E-39427/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 17 नवम्बर, 2022

विषयः– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 सपठित शासनादेश संख्या–65/XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या–05/XXVII(7)/50(09)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–17 में उपबन्धित व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–05/XXVII (7)/50(09)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2022 को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या–11/XXVII(7) 30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–17 में उपबन्धित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

"एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु वित्तीय स्तरोन्नयन की देय तिथि से पीछे की 05 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां देखी जायेंगी। यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टी 'उत्तम' से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में एम.ए.सी.पी. की देयता की तिथि से अगले वित्तीय वर्ष/वर्षों में 'उत्तम' वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण होने पर ही वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा।"

3. यह व्यवस्था दिनांक 01–01–2017 से प्रभावी होगी। तद्नुसार ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें कार्मिकों को उक्तानुसार संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक

01–01–2017 को/के पश्चात् अनुमन्य है, के सम्बन्ध में विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार यथाप्रक्रिया अग्रेतर कार्यवाही कर ली जाय।

4. शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 सपठित शासनादेश संख्या–65/XXVII(7)18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 17-11-2022 13:52:06

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 77088 /XXVII(7)/E-39427/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 17-11-2022 16:05:56

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या– 05 /XXVII(7)/50(09)/2018

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः 06 दिसम्बर, 2021**

विषयः– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 सपठित शासनादेश संख्या–65/XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश संख्या–11 दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–17 में निम्नवत् व्यवस्था उपबन्धित हैः–

> "उपर्युक्त अपग्रेडेशन उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होगा। वेतन मैट्रिक्स के स्तर–1 से स्तर–5 तक के पद सोपान के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉं 'उत्तम' और इसके पश्चात् के स्तरों के लिए 'अति उत्तम' के आधार पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के समय पिछले 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्राविष्टियॉं देखी जायेंगी"

2. उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के लिए वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 के पश्चात के वेतन स्तरों के लिये भी वार्षिक प्रविष्टि का मानक "अति उत्तम " के स्थान पर "उत्तम" रखा जाय।

3. वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा की गणना के लिए एम.ए.सी.पी. की देयता की तिथि से पीछे की 05 वर्षों की 'उत्तम' वार्षिक प्रविष्टियां देखी जायेगी। सेवा में यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टी मानक से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में एम.ए.सी.पी. की देयता की तिथि से अगले वित्तीय वर्ष/वर्षों की 'उत्तम' वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण होने पर ही वित्तीय स्तरोनयन का लाभ तत्पश्चात् देय होगा।

4. इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को "अति उत्तम" का मानक पूर्ण न करने के कारण एम.ए.सी.पी. का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है तो ऐसे प्रकरण में भी "उत्तम" वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण करने पर ही एम.ए.सी.पी. का लाभ शासनादेश लागू होने के दिनांक से अनुमन्य होगा। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5. यह व्यवस्था दिनांक 01–01–2022 से लागू होगी।

6. उक्त तिथि से पूर्व के प्रकरण पुनरोद्घटित (Re-Open) नहीं किये जायेंगे।

7. शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2019 सपठित शासनादेश संख्या–65/XXVII(7)18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /XXVII(7)/30(14)/2017

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 06 अगस्त, 2021

विषयः– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. व स्टाफिंग पैर्टन की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–316/XXVII(7)30(14)/2017 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश में उल्लिखित है कि जिन संवर्गों में स्टाफिंग पैर्टन की व्यवस्था लागू है वहां समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति अथवा ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था लागू नहीं होगी। यदि किसी कार्मिक को स्टाफिंग पैर्टन के साथ समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की व्यवस्था अथवा ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का दोहरा लाभ अनुमन्य किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन नियमानुसार आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे संवर्गों में जहां स्टाफिंग पैर्टन की व्यवस्था लागू है वहां यदि शासनादेश संख्या–872/XXVII(7) न.प्रति./2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) द्वारा लागू ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के जारी होने की तिथि से पूर्व स्वीकृत किये गये हों तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जायेगा। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या–316/XXVII(7)30(14)/2017 दिनांक 19 नवम्बर, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 87(1)/XXVII(7)/30(14)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्या–316/XXVII(7)20–30(14)/20

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 19 नवम्बर, 2020

विषयः– **राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. व स्टाफिंग पैर्टन व व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–872/XXVII(7) न.प्रति./2011 दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 16 वर्ष, व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर तीन वित्तीय स्तरोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था की गयी है। कार्यालय–ज्ञाप संख्या–11/ XXVII(7) 30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी 2017 द्वारा पूर्व व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था दिनांक 01–01–2017 से लागू की गयी है। उक्त व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 10, 20 और 30 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) की व्यवस्था लागू की गयी है।

2. शासनादेश संख्या–872/XXVII(7) न.प्रति./2011 दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–4 में व्यवस्था उपबन्धित है कि "यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए.सी.पी. की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध मे संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए.सी.पी. की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।"

3. वैयक्तिक सहायक संवर्ग/मिनीस्ट्रीयल संवर्ग/वाहन चालक संवर्ग में कार्मिकों को पदोन्नति के सोपान उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत स्टाफिंग पैर्टन तथा समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की व्यवस्था लागू की गयी है। शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों/संवर्गों में शासनादेशों में उपबन्धित व्यवस्थाओं से इतर कतिपय संवर्गों में स्टाफिंग पैर्टन लागू होने पर भी समयबद्ध प्रोन्नति अथवा ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.एस. का दोहरा लाभ अनुमन्य कराया जा रहा है।

4. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन संवर्गों में स्टाफिंग पैर्टन की व्यवस्था लागू है वहां समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति अथवा ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

5. यदि किसी कार्मिक को स्टाफिंग पैर्टन के साथ समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की व्यवस्था अथवा ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. का दोहरा लाभ अनुमन्य किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन नियमानुसार आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– ✓ (1)/XXVII(7)–30(14)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– 65 /XXVII(7)/18–50(09)/
2

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक: 09 मार्च, 201

विषयः– समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अथवा एम0ए0सी0पी0 के प्रकरणों में समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्धारित प्रकिया के विपरीत समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है, जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है:–

क्र.सं.	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?	शासनादेश संख्या–10/XXVII(7)40 (IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के बिन्दु संख्या–3 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या–4 में अंकित स्पष्टीकरण निम्नवत् है:– "यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 सितम्बर, 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए0सी0पी0 की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा।" समयमान वेतनमान की व्यवस्था से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–210/ दस–83–स0 क0(सा0)–82 दिनांक 04 फरवरी, 1983 में निम्न प्राविधान उपबन्धित है:– "नियमित सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिये अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से 'नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा की गयी सेवा को "नियमित सेवा" नहीं

		माना जायेगा और "नियमित सेवा" की अवधि व आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिस आधार पर किसी कर्मचारी की अपने संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो" उक्त से स्पष्ट है कि समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के अंतर्गत लाभ की अनुमन्यता हेतु निर्धारित सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कार्मिक के नियमित नियुक्ति की तिथि से ही की जाए। इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, नियत वेतन, कार्यप्रभारित, सीजनल, तदर्थ आधार पर की गई सेवाओं को गणना में नहीं लिया जाएगा। किसी स्थाई/अस्थाई सृजित पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात यदि किसी कार्मिक को स्थानापन्न, तदर्थ, प्रभारी व्यवस्था के रूप में उच्चतर पद अथवा समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त अवधि की सेवायें गणना में ली जायेगी। अर्थात दो नियमित नियुक्तियों के मध्य में तदर्थ, प्रभारी अथवा स्थानापन्न रूप से की गयी निरन्तर सेवायें समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 /एम0ए0सी0पी0 हेतु गणना में ली जायेगी।
2.	शासनादेश संख्या–589, दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर 2 (1)(घ) में अंकित है कि "पूर्व स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जाएगा।" क्या इसका आशय यह है कि ए0सी0पी0 सम्बन्धी जो प्रकरण पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके हों उन्हें "ए0सी0पी0 सम्बन्धी वर्तमान में निर्गत स्पष्टीकरणों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर समायोजन की कार्यवाही नहीं की जाएगी?"	शासनादेश संख्या– 589, दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर–2(1)(घ) एवं प्रस्तर–2(5)(क) में निम्न व्यवस्था उपबन्धित है:– **प्रस्तर–2(1)(घ)** "उपर्युक्त शासनादेश संख्या– 313/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर– 2 (5) एवं संख्या–314/xxvii(7)(40) (ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (क) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत "धारित पद" का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यदि किसी कार्मिक के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के क्रम में पूर्व स्थिति के आधार पर ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (re-open) नहीं किया जाएगा। **प्रस्तर–2(5)(क)** "शासनादेश संख्या–314 दिनांक 30.10.2012 के निर्गत होने तक शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (**Re-open**) नहीं किया जायेगा।"

		स्पष्ट है कि पुनरोद्घाटित न किए जाने व स्थिति मात्र उपरोक्त परिधि, जोकि सामान्यतः सीधी भर्त से ग्रेड वेतन रू0 5400/--(वेतन बैंड 3) अथवा उसर उच्च ग्रेड वेतन में नियुक्त पदधारकों के सन्दर्भ में ह आएगी किन्तु ऐसे प्रकरणों का परीक्षण भी उपरोक्त शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2013 के प्रस्तर--2(5)(क) में दी गई व्यवस्थानुरूप एवं इस स्पष्टीकरण के क्रमांक-- 1 व 2 में दी गई व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में अवश्यमेव कर लिया जाए और जहां कहीं इंगित प्रावधानों के विपरीत स्वीकृति/वेतन निर्धारण किया गया है वहां अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन किया जाए। यहां पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व/ वर्तमान में निर्गत किए गए/निर्गत किए जा रहे ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 सम्बन्धी स्पष्टीकरणों/ प्रावधानों में दी गई व्यवस्था से इतर कोई स्वीकृति निर्गत की गई है तो ऐसे सभी प्रकरणों की पुनः जांच कर ली जाए और जहां कहीं त्रुटिपूर्ण स्वीकृति की स्थिति सामने आती है, वहां अधिक हुए वेतन--भत्तों के भुगतान के समायोजन की कार्यवाही की जाए।
3.	शासनादेश संख्या-- 11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 में एम0ए0सी0पी0 अनुमन्यता हेतु विगत 10 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां उत्तम/ अतिउत्तम श्रेणी के होने संबंधी प्रावधान रखा गया है, यदि किसी कार्मिक की 09 वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अतिउत्तम श्रेणी की हो और 01 वर्ष की उत्तम श्रेणी की, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता कब से होगी?	शासनादेश संख्या-- 11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक--1 के प्रस्तर 17 में "वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के सन्दर्भ में व्यवस्था निम्नवत् है:-- "उपर्युक्त अपग्रेडेशन उपयुक्तता के आधार पर अनुमन्य होगा। वेतन मैट्रिक्स के स्तर--1 से स्तर--5 तक के पद सोपान के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ "उत्तम" और इसके पश्चात के स्तरों के लिए 'अति उत्तम' के आधार पर वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के समय पिछले 10 वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टयाँ देखी जायेंगी।" उक्त व्यवस्था के आलोक में स्पष्ट किया जाना है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा में यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टी मानक से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि एम0ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि से ही यह व्यवस्था लागू होगी।
4.	क्या संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन, आउटसोर्स के रूप में नियुक्त कार्मिक को वार्षिक वेतनवृद्धि देय है।	नियमित सेवा को प्रस्तर--1 में सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.02.1983 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। स्पष्ट है कि संविदा, आउटसोर्स, नियत वेतन व दैनिक वेतन पर की गयी सेवाओं पर वार्षिक वेतनवृद्धि

		अनुमन्य नहीं होगी।

2. विनियमितीकरण आदेश जारी करने की तिथि से ही नियमित सेवा आगणित की जायेगी विनियमितीकरण आदेश पूर्वगामी तिथि से लागू न किया गया हो।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्य से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की धनराशि की नियमानुसार वसूली/समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः (1)//XXVII(7) 18-50(09)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फाइनैन्शल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आहरण वितरण अधिकारी, वेतन आयोग प्रकोष्ठ, वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।